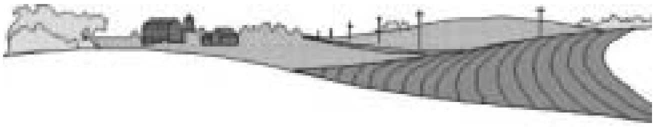

संशोधित संचालन मार्गदर्शिका
ग्रामीण भंडारण योजना
(1.10.2004 से लागू)

1. भूमिका

यह सर्वविदित है कि छोटे कृषकों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वे बाजार भाव अनुकूल होने तक उपज को अपने पास रख सकें । देश में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि कृषक समुदाय को वैज्ञानिक भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि उत्पाद को अपव्यय और क्षति से बचाया जा सके और वे अपने उत्पाद को कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य हुए बिना अपनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें । ग्रामीण गोदामों का नेटवर्क बन जाने से छोटे कृषकों की भण्डारण क्षमता बढ़ जाएगी और वे अपने उत्पादों को लाभकारी कीमत पर बेच कर आपात बिक्री से बच जाएंगे । तदनुरूप, ग्रामीण भण्डारण योजना-ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण की पूंजी निवेश सब्सिडी योजना को वर्ष 2001-2002 में प्रारंभ किया गया और 30.09.2004 तक इसे बढ़ाया गया । अब इस योजना को 30.09.2004 के बाद मंजूर की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए इसके संचालन दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक के वर्षों के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है । तदनुरूप, योजना के संशोधित संचालन दिशानिर्देश 01.10.2004 को या उसके बाद से 31.03.2007 के दौरान मंजूर की गई नई परियोजनाओं के लिए लागू हैं ।

2. उद्देश्य

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की भण्डारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्बद्ध सुविधाओं सहित कृषि उपज, प्रसाधित कृषि उपज और कृषि उपकरणों का भण्डारण, वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का सृजन करना, कृषि उत्पाद की विपणनीयता बेहतर बनाने के लिए उनका श्रेणीकरण तथा मानकीकरण करना और गुण नियंत्रण को बढ़ावा देना, प्रतिभूति वित्तीय प्रबंधन एवं विपणन साख की सुविधा द्वारा फसल कटाई के तुरन्त बाद आपात बिक्री रोकना, ऐसे गोदामों में भण्डारित कृषि उत्पादों के सन्दर्भ में वेयरहाउस रसीदों की एक राष्ट्रीय प्रणाली प्रारंभ करके देश में कृषि विपणन की आधारिक संरचना को सशक्त करना ।

3. मुख्य विशेषताएं

पात्र संगठन

i) ग्रामीण गोदामों की निर्माण परियोजना को एकल व्यक्तियों, कृषकों, कृषकों/उत्पादकों के समूह, साझेदारी/निजी फर्मों, गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) स्वयं सहयोगी समूहों, (एस.एच.जी.) कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं, कृषि प्रसंस्करण सहकारी समितियों, संघों, कृषि उपज विपणन समितियों, विपणन बोर्डों और कृषि निगमों के द्वारा पूरे भारत में आरंभ किया जा सकता है ।

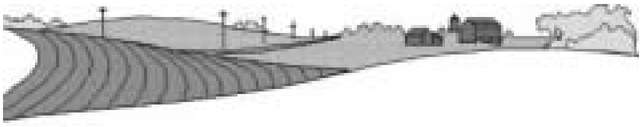

तथापि ग्रामीण गोदाम के नवीकरण के लिए दी जाने वाली सहायता केवल उन्हीं गोदामों के लिए है, जिनका निर्माण सहकारी समितियों द्वारा किया गया है ।

अवस्थिति

ii) योजना के तहत उद्यमी अपने व्यावसायिक निर्णय के अनुरूप गोदाम कहीं भी बनाने के लिए स्वतंत्र होगा सिवाय इसके कि वह नगर निगम क्षेत्र के बाहर हो । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित फूड पार्कों में निर्मित ग्रामीण गोदाम भी इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगे ।

आकार

iii) गोदाम की क्षमता का निर्णय उद्यमी द्वारा किया जाएगा । तथापि, इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी न्यूनतम 100 टन क्षमता और अधिकतम 10,000 टन तक की क्षमता के लिए प्रदान की जाएगी ।

iv) 50 टन तक की क्षमता वाले छोटे आकार के ग्रामीण गोदाम भी एक विशेष मामले के रूप में इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र होंगे जो राज्य/क्षेत्र की स्थलाकृति/विशेष आवश्यकता के आधार पर व्यवहार्यता विश्लेषण पर आधारित होंगे । पहाड़ी क्षेत्रों में, 25 टन क्षमता के छोटे आकार के ग्रामीण गोदाम भी सब्सिडी के लिए पात्र होंगे । इसके लिए नाबार्ड उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा ।

*जहां परियोजना स्थल माध्य समुद्रतल से 1000 मीटर से अधिक उंचाई पर स्थित है ।

वैज्ञानिक भण्डारण की शर्तें

V) योजना के तहत निर्मित गोदाम की संरचना तकनीकी दृष्टि से मजबूत तथा व्यवसाय की दृष्टि से कृषि उत्पाद के भण्डारण के लिए उपयुक्त होगी । वैज्ञानिक निर्माण के लिए सामान्य शर्तें निम्नलिखित हैं :

(क) गोदाम का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/राज्य लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशन तथा इस निमित्त निर्धारित मानक विनिर्देशन के अनुसार होगा । गोदाम हवादार हों, उनमें दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदान लगे हुए हों तथा वे सभी जल प्रतिरोधक (फर्श, दीवार, छत आदि की नियंत्रित नमी वाले) होंगे ।

(ख) गोदाम की संरचना कृन्तक से सुरक्षित होगी ।

(ग) गोदाम पक्षियों से सुरक्षित होगा (जाली युक्त खिड़कियां तथा रोशनदान होंगे)

(घ) गोदामों में लगी खिड़कियां, दरवाजे इत्यादि इस ढंग से लगे हुए हों कि गोदाम को कारगर धूम्रीकरण के लिए बन्द किया जा सके ।

(ड.) गोदाम परिसर सड़क के नजदीक अवस्थित होगा तथा उसमें पक्की आंतरिक

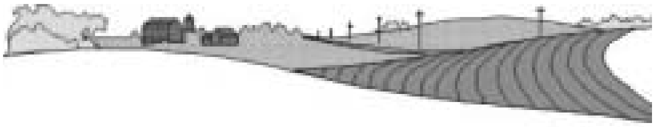

सड़क, जलनिकासी की समुचित व्यवस्था, चोरी एवं आग पर नियंत्रण पाने की कारगर व्यवस्था तथा सामान उतारने व लादने की आसान व्यवस्था हो ।

vi) यदि संबंधित राज्य सरकार की मांग हो तो उद्यमी राज्य वेयरहाउसिंग अधिनियम अथवा किसी अन्य संगत कानून के तहत गोदाम चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है । 1000 टन क्षमता और इससे अधिक क्षमता वाले ग्रामीण गोदामों को प्रत्यायन योजना के शुरू होते ही केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) से प्रत्यायन लेना होगा । इस विषय पर, नाबार्ड सी.डब्ल्यू.सी. से परामर्श करके दिशानिर्देश तैयार करेगा ।

ऋण आधारित सहायता

vii) योजना के तहत सब्सिडी, संस्थागत ऋण पर आधारित है और केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए ही उपलब्ध होगी जिनका वित्तीय प्रबंधन कमर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंक (एस.सी.बी.), राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एस.सी.ए.आर.डी.बी.), कृषि विकास वित्त कंपनियां (ए.डी.एफ.सी.) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एन.ई डी एफ आई.), शहरी सहकारी बैंक आदि द्वारा हो । गोदाम के निर्माण हेतु उद्यमियों को ऋण की चुकौती के लिए पर्याप्त दीर्घकालिक प्रतिसंदाय अवधि दी जाएगी ।

viii) इस योजना के तहत सहायता गोदाम के निर्माण की पूंजी लागत पर उपलब्ध होगी जिसमें सम्बद्ध सुविधाओं जैसे चारदीवारी, आन्तरिक सड़क, चबूतरा, आन्तरिक निकास प्रणाली, तुलाई, श्रेणीकरण, पैकेजिंग, गुण प्रमाण, वेयरहाउसिंग सुविधाएं शामिल होंगी जो व्यावसायिक दृष्टि से गोदाम के संचालन के लिए आवश्यक हैं ।

प्रतिभूति ऋण सुविधा

ix) गोदामों में उत्पाद रखने वाले कृषक अपने उत्पाद के आडमान पर प्रतिभूति ऋण लेने के पात्र होंगे । प्रतिभूति ऋण पर लागू शर्तें अर्थात मार्जिन, ब्याज दर, बंधक की अवधि, राशि इत्यादि भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा पालन की जाने वाली सामान्य बैंकिंग प्रणालियों के अनुरूप होगी ।

प्रशिक्षण

x) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एन.आई.ए.एम.) एवं राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय अन्य संस्थान इस योजना पर कृषकों के लिए सामान्य चेतना कार्यक्रम एवं ग्रामीण गोदामों के निर्माण, अनुरक्षण तथा संचालन हेतु उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे ।

कार्यान्वयन अवधि

xi) योजना की कार्यान्वयन अवधि 30.09.2004 से 31.03.2007 तक जारी रहेगी ।

xii) यह संशोधित योजना ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण की उन सभी नई परियोजनाओं के लिए लागू होगी जिनके लिए ऋण की मंजूरी 01.10.2004 से 31.03.2007 के दौरान अथवा बाद में की गई है ।

नोडल एजेंसी

xiii) कृषि एवं सहकारिता विभाग का संबद्ध कार्यालय विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय इस योजना को कार्यान्वित करेगा । डी0एम0आई के क्षेत्रीय/उप कार्यालयों की सूची अनुलग्नक-VI पर संलग्न है ।

लक्ष्य

xiv) संशोधित योजना के तहत 32 लाख टन की नई ग्रामीण भण्डारण क्षमता का निर्माण एवं 4 लाख टन की भण्डारण क्षमता का नवीकरण करने का लक्ष्य है ।

xv) राज्य में परियोजनाओं की मंजूरी अधिकतम 28 लाख टन (10वीं योजना के दौरान परिकल्पित कुल 140 लाख टन क्षमता का 20%) होगी ।

xvi) 05 लाख टंन क्षमता छोटे कृषकों के लिए और 05 लाख टन क्षमता सहकारी समितियों के लिए आरक्षित होगी ।

बीमा

xvii) गोदाम स्वामी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह गोदाम का बीमा करवाए ।

सब्सिडी

xviii) सब्सिडी की दर निम्नानुसार होगी :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों तथा उनकी सहकारी समितियों के लिए सब्सिडी की राशि पूंजीगत लागत का 33.33% होगी और उसकी अधिकतम सीमा 50 लाख होगी ।

(ख) सभी श्रेणी के किसानों, कृषि स्नातकों, सहकारी समितियों और राज्य केन्द्रीय वेयर हाउसिंग निगमों के लिए सब्सिडी, परियोजना की पूंजी लागत का 25% होगी और उसकी अधिकतम सीमा 37.50 लाख रूपये होगी ।

(ग) एकल व्यक्तियों, कम्पनियों और निगमों की सभी अन्य श्रेणियों के लिए सब्सिडी, परियोजना की पूंजीगत लागत का 15% होगी और उसकी अधिकतम सीमा 22.50 लाख रूपये होगी; और

(घ) एन.सी.डी.सी. से सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के गोदामों के नवीकरण के लिए सब्सिडी, परियोजना की पूंजीगत लागत का 25% होगी ।

xix) परियोजना के अन्तर्गत सब्सिडी के उद्देश्य के लिए परियोजना की पूंजीगत लागत निम्नानुसार होगी :-

(क) **1000 टन तक की क्षमता वाले गोदामों के लिए** वित्तीय बैंक द्वारा आंकी गई परियोजना लागत अथवा वास्तविक लागत अथवा भंडारण क्षमता पर प्रति टन 2000 रूपये, इनमें से जो भी कम हो ।

(ख) **1000 टन से अधिक क्षमता वाले गोदामों के लिए** - बैंक द्वारा आंकी गई परियोजना

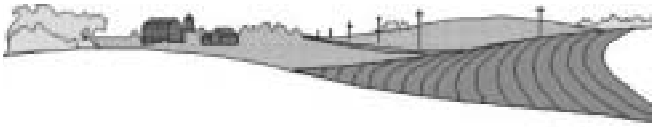

लागत अथवा वास्तविक लागत अथवा भंडारण क्षमता पर प्रति टन 1500/- रूपये, इनमें से जो भी कम हो । तथापि 10,000 टन से अधिक क्षमता वाले गोदामों के लिए, वही सब्सिडी दी जाएगी जो केवल 10,000 टन क्षमता के लिए स्वीकार्य है ।

(ग) एन.सी.डी.सी. की सहायता से, सहकारी समितियों द्वारा निर्मित गोदामों के नवीकरण के लिए परियोजना लागत जो कि बैंक/ एन.सी.डी.सी. द्वारा आंकी गई हो अथवा वास्तविक लागत अथवा भंडारण पर प्रति टन 500 रूपये, इनमें से जो भी कम हो ।

xx) कोई भी लाभार्थी गोदाम परियोजना अथवा इसके घटक के लिए सब्सिडी एक से अधिक स्रोत से आहरित नहीं करेगा ।

xxi) गोदाम की क्षमता का आकलन 0.4 टन प्रति क्यूबिक मीटर की दर से किया जाएगा ।

सब्सिडी की मंजूरी

xxii) इस योजना के तहत उन परियोजनाओं के लिए सब्सिडी नाबार्ड के माध्यम से दी जाएगी जिनका वित्त प्रबंधन कमर्शियल, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ए.डी.एफ.सी; एस.सी.बी., एस.सी.ए.आर.डी.बी., एन.ई .डी.एफ.आई. और अनुसूचित पी.यू.सी.बी. और नाबार्ड से पुनर्वित्तीय प्रबंधन के लिए पात्र अन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है । एन.सी.डी.सी. अथवा सहकारी बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए सब्सिडी एन.सी.डी.सी. के माध्यम से इसके पात्रता दिशा निर्देशों के अनुसार दी जाएगी ।

ऋणी के खाते में सब्सिडी का समायोजन :

xxiii) एकल परियोजनाओं के लिए बैंक/ एन.सी.डी.सी. को दी गई सब्सिडी ऋणी के अलग-अलग खाते में रखी जाएगी । सब्सिडी का समायोजन अंत में किया जाएगा । तदनुरूप, सब्सिडी राशि सहित लेकिन लाभ प्राप्त करने वाले उद्यमकर्ता के सीमांत आर्थिक अंशदान को छोड़कर कुल परियोजना लागत बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी जाएगी । ऋण की राशि पर प्रतिसंदाय सूची इस प्रकार तैयार की जाएगी कि ब्याज सहित कुल बैंक ऋण की राशि, सब्सिडी की राशि से समायोजित हो जाए परन्तु यह ऋण की पहली किश्त के भुगतान की तारीख के 5 वर्ष से पूर्व नहीं होना चाहिए ।

सब्सिडी की राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा

xxiv) योजना के तहत प्रवर्तक के लिए स्वीकार्य सब्सिडी की राशि वित्त प्रबंधक बैंक के सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में (प्रत्येक ऋणी का अलग-अलग) रखी जाएगी । इस राशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं लगेगा । इस प्रकार सब्सिडी राशि को छोड़कर सिर्फ ऋण की राशि पर ब्याज लिया जाएगा । अतः एस.एल.आर./सी.आर.आर. के लिए सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में बची शेष राशि पर मांग एवं समय सीमा लागू नहीं होगी ।

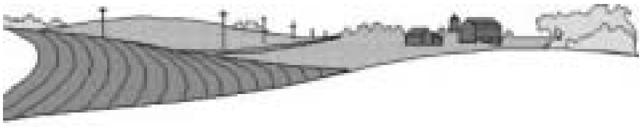

4. संस्थागत ऋण

(क) पात्र वित्तीय संस्थान

i) योजना के तहत पात्र वित्तीय संस्थान हैं - कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.), राज्य सहकारी बैंक (एस.एस.बी.), राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एस.सी.ए.आर.डी.बी.), कृषि विकास वित्त कंपनियां (ए.डी.एफ.सी.) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एन.ई डी.एफ.आई), और अन्य ऐसे संस्थान जो नाबार्ड से पुनर्वित्त प्रबंधन के लिए पात्र होंगे ।

ii) पात्रता दिशा निर्देशों के अनुरूप एन.सी.डी.सी. से मान्यता प्राप्त सहकारी समितियां और सहकारी बैंक

(ख) आवधिक ऋण

i) परियोजना लागत का न्यूनतम 50% (पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और उनकी सहकारी समितियों के लिए 46.67%) वित्तीय बैंकों से आवधिक ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है । चूंकि सब्सिडी पश्च समायोजनीय होती है, सब्सिडी की वांछनीय राशि प्रारम्भ में लाभार्थी को आवधिक ऋण के रूप में दी जाएगी । प्रतिसंदाय सूची कुल ऋण राशि (सब्सिडी सहित) पर तैयार की जाएगी । सब्सिडी राशि बैंक ऋण (शुद्ध सब्सिडी) के समापन के बाद समायोजित की जाएगी परंतु यह आवधिक ऋण की पहली किश्त के भुगतान के 5 वर्ष तक समायोजित नहीं की जाएगी ।

ii) नकद प्रवाह के आधार पर आवधिक ऋण में पर्याप्त दीर्घकाल चुकौती अवधि भी शामिल होगी, परन्तु यह 5 वर्ष से कम नहीं होगी और इसमें एक वर्ष की अनुग्रह अवधि भी होगी ।

iii) ऋणियों के लिए आवधिक ऋण पर ब्याज दर आर.बी.आई के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी । ब्याज, ऋण के प्रथम संवितरण की तारीख से देय होगा ।

iv) वित्तीय संस्थान उद्यमियों द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए अलग से भी कार्यपूंजी प्रदान कर सकते हैं ।

v) ऋण की अवधि, इसके प्रतिसंदाय, विलंबन, ब्याज दर इत्यादि के लिए एन.सी.डी.सी. अपने मानदंडों का अनुपालन कर सकती है ।

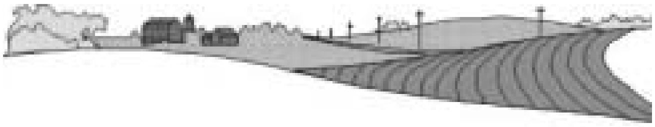

5. सहायता का पैटर्न

i) उन परियोजनाओं के लिए जिन्हें सब्सिडी नाबार्ड के माध्यम से प्राप्त होती है ।

<u>निधीयन पैटर्न</u>

	पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य, पहाड़ी क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी और उनकी सहकारी समितियां।		पूर्वोत्तर राज्यों/पहाड़ी क्षेत्रों/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमी और उनकी सहकारी समितियां।
वित्त स्रोत	कृषि स्नातक, सहकारी समितियां और राज्य/केन्द्रीय वेयर हाउसिंग निगम	एकल व्यक्ति, कम्पनियां और निगम आदि	
स्वामी का अंशदान	25%	25%	20%
सरकार से सब्सिडी	25%	15%	33.33%
पात्र वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण (न्यूनतम)	50%	50%	50%

@ कृषक वह व्यक्ति है जिसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है ।

* भूमि की लागत जो कि परियोजना लागत के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, स्वामी का अंशदान समझी जा सकती है ।

* जहां परियोजना स्थल माध्य समुद्रतल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है ।

*** अनुसूचित जाति/जनजाति सहकारी समितियां राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए ।

जारी करने का तरीका

(Eò) +ÊOÉ¨É ºÉÎ¤ºÉb÷Ò :- 50% सब्सिडी कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा पहले ही नाबार्ड को प्रदान कर दी जाएगी । तदनुसार, नाबार्ड सहभागी बैंकों को सब्सिडी, पहले ही जारी कर देगा ताकि वे उसे संबंधित ऋणियों के सब्सिडी रिजर्व फंड एकाउंट में रख सकें । अग्रिम सब्सिडी की यह 50% राशि नाबार्ड द्वारा, सहभागी बैंकों को, परियोजना रूपरेखा सह-मांग प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी कर दी जाएगी । (अनुलग्नक-I)

(JÉ) +ÎxiÉ¨É ºÉÎ¤ºÉb÷Ò :- सब्सिडी की शेष राशि नाबार्ड द्वारा संयुक्त निरीक्षण समिति जिसमें नाबार्ड, सहभागी बैंकों और संबंधित राज्य में स्थित विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के अधिकारी शामिल होंगे, के निरीक्षण के बाद सहभागी बैंकों को प्रदान कर दी जाएगी ।

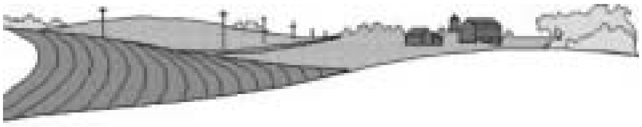

ii) उन परियोजनाओं के लिए जिन्हें सब्सिडी एन.सी.डी.सी. के माध्यम से प्राप्त होती है।

निधीयन का पैटर्न

पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों की सहकारी समितियों, पर्वतीय क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/जनजाति की सहकारी समितियों के लिए :-

एन.सी.डी.सी. से राज्य सरकार सोसाइटी को	राज्य सरकार से सोसाइटी को
आवधिक ऋण - 65%	आवधिक ऋण - 50%
सब्सिडी - 25%	शेयर पूंजी - 15%
	सब्सिडी - 25%
	सोसाइटी शेयर - 10%

पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सहकारी समितियों के लिए

एन.सी.डी.सी. से राज्य सरकार सोसाइटीयां	राज्य सरकार से समिति को
आवधिक ऋण - 56.67%	आवधिक ऋण - 50.00%
सब्सिडी - 33.33%	शेयर पूंजी - 06.67%
	सब्सिडी - 33.33%
	सोसाइटी शेयर - 10.00%

सहकारी बैंको के माध्यम से/सीधे सहकारी समितियों को

क्रम संख्या	वित्त स्त्रोत	पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और अनुसूचित जाति/जनजाति की सहकारी समितियों के लिए	पूर्वोत्तर राज्यों/पहाड़ी क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति/जनजाति समितियों के लिए
i)	प्रर्वतक का अंशदान (न्यूनतम)**	25%	20%
ii)	सरकार से सब्सिडी	25%	33.33%
iii)	आवधिक ऋण (न्यूनतम)	50%	46.67%

* जहां परियोजना स्थल माध्य समुद्रतल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है ।

** भूमि की लागत जो परियोजना लागत के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, को स्वामी का अंशदान समझा जा सकता है ।

जारी करने का तरीका

(क) 50% सब्सिडी राशि भूमि के अनुमोदन और अधिग्रहण के बाद जारी की जाएगी और शेष 50 प्रतिशत सब्सिडी गोदाम का निर्माण कार्य छत तक पहुंचने के बाद प्रदान की जाएगी ।

(ख) गोदामों के नवीकरण के मामले में 100% सब्सिडी राशि मरम्मत और नवीकरण कार्य प्रारम्भ होने के बाद प्रदान की जाएगी ।

(ग) ब्याजमुक्त ऋण के रूप में प्रदान की गई सब्सिडी केवल एन.सी.डी.सी. के सन्तोष के अनुसार गोदाम का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद समायोजित की जाएगी ।

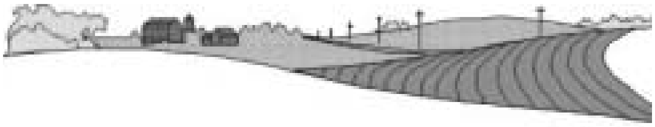

6. प्रतिभूति ऋण

गोदाम में अपने उत्पाद को रखने वाले कृषक प्रतिभूति उत्पाद की 75% तक कीमत उत्पाद के आडमान पर प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि यह राशि प्रति ऋणी 5 लाख रूपये से अधिक न हो । इस प्रकार का ऋण 12 माह की अवधि के लिए होगा । इस प्रकार के ऋणों पर ब्याज दर आर.बी.आई के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी । बैंकिंग संस्थान उत्पाद के आडमान पर प्रतिभूति ऋण के लिए गोदाम रसीद को तभी स्वीकार करेंगे जब वह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपज के आडमान पर प्रतिभूति ऋण के लिए बैंक को विधिवत रूप से पृष्ठांकित एवं प्रस्तुत की गई हो । ग्रामीण गोदाम योजना के अन्तर्गत प्रतिभूति ऋण अग्रिम 'प्रत्यक्ष कृषि प्राथमिक क्षेत्र ऋण' के अन्तर्गत पास होगा ।

7. समापन के लिए समय-सीमा

परियोजना के समापन के लिए ऋण की प्राथमिक किश्त के भुगतान की तारीख से लेकर 15 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है । तथापि, विलंब के कारण न्यायसंगत हों तो, 6 माह की अवधि की एक और अनुग्रह अवधि सहभागी बैंक द्वारा प्रदान की जा सकती है । यदि परियोजना निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है तो सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा और अग्रिम सब्सिडी तुरंत वापस करनी होगी ।

8. नाबार्ड से प्राप्त पुनर्वित्तीय सहायता

(क) <u>ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए</u>

ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए, यदि आवश्यक हो, नाबार्ड, व्यावसायिक बैंक/आर.आर.बी./ए.डी.एफ.सी/एस.एस.बी./एस.सी.ए.आर.डी.बी.एस. और अन्य ऐसी पात्र संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रबंध प्रदान करेगा लेकिन इन बैंकों द्वारा दी गई वित्त राशि का 90 प्रतिशत आवधिक ऋण के रूप में होगा । तथापि, उत्तर पूर्वी राज्यों में एस.सी.ए., आर.डी.बी.एस. के मामले में पुनर्वित्त प्रबंध की मात्रा 95% है । नाबार्ड से पुनर्वित्त प्रबंध की मात्रा समय-समय पर बदल सकती है । पुनर्वित्तप्रबंधन पर ब्याज की दर नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी ।

(ख) <u>प्रतिभूति ऋण के लिए</u>

प्रतिभूति ऋण के लिए, नाबार्ड भी अपने मानदंडों के अनुसार सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तप्रबंध करेगा । नाबार्ड के मानदंड निम्नानुसार हैं :-

i) प्रतिभूति वित्त प्रबंधन की सुविधा सभी कृषकों को प्रदान की गई है चाहे वे पी0ए0सी0एस0 के ऋणी सदस्य हैं अथवा नहीं और डी0सी0सी0बी0एस0 को प्रतिभूति क्षमता के आधार पर प्रत्येक कृषक को सीधे वित्त प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है ।

ii) प्रतिभूति ऋण की मात्रा बंधक रखे गए वास्तविक उत्पाद के मूल्य के 75% तक होगी और प्रति ऋणी पांच लाख रूपये की सीमा से अधिक नहीं होगी ।

iii) प्रतिभूति ऋण की अवधि 12 माह तक है ।

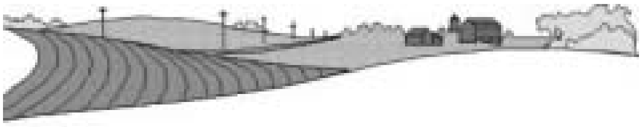

iv) प्रतिभूति ऋण के भुगतान पर कृषकों को अपने उत्पाद को पुनः वापिस लेने की स्वतंत्रता होगी ।

v) प्रतिभूति ऋण के पुनर्वित्त प्रबंधन पर ब्याज की दर नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

9. प्रचार एवं प्रशिक्षण

कृषकों के लिए योजना संबंधी सामान्य जागरूकता कार्यक्रम और उद्यमियों के लिए ग्रामीण गोदाम के निर्माण, अनुरक्षण एवं संचालन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर द्वारा अन्य संस्थाओं जैसे बी0आई0आर0डी0, टी0ओ0पी0आई0सी0 आदि के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे ।

10. अन्य शर्तें

i) ग्रामीण गोदामों को वित्त प्रबंध के लिए आधारिक संरचना समझा जाए ।

ii) सहभागी बैंक/एन.सी.डी.सी./नाबार्ड आदि परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए अपने मानदंडों का पालन करेंगे ।

iii) स्थल पर "कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की ग्रामीण भण्डारण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त" एक नामपट्ट प्रदर्शित होगा ।

iv) विभिन्न निबंधनों की सरकार की व्याख्या ही अंतिम व्याख्या होगी ।

v) संयुक्त निरीक्षण समिति के निरीक्षण के अलावा, परियोजना के पूरा होने के पहले और बाद में निरीक्षण, जब कभी आवश्यक हो, भौतिक, वित्तीय और संचालन प्रगति की जांच करने के लिए किया जाए ।

vi) बिना कोई कारण बताए सरकार किसी भी शर्त को संशोधित करने, उसमें कुछ जोड़ने और उसमें से कुछ समाप्त करने का अधिकार रखती है ।

11. परियोजना की मंजूरी और सब्सिडी जारी करने हेतु अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया

बैंक द्वारा वित्तप्रबंधित परियोजनाएं

i) प्रोत्साहक संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर परियोजना रिपोर्ट और ऋण के मूल्यांकन तथा मंजूरी के लिए आवश्यक दस्तावेज सहित बैंक को आवधिक ऋण तथा सब्सिडी के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा । प्रोत्साहक द्वारा प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक VI पर दी गई सूची के अनुसार विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के उप/ क्षेत्रीय कार्यालयों को भी पृष्ठांकित की जाएगी ।

ii) परियोजना के मूल्यांकन, मंजूरी और ऋण की प्रथम किश्त के संवितरण के बाद बैंक अनुलग्नक-VI पर दी गई सूची के अनुसार विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के उप कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय को एक प्रति देते हुए, बैंक के स्वीकृति पत्र सहित, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड को,

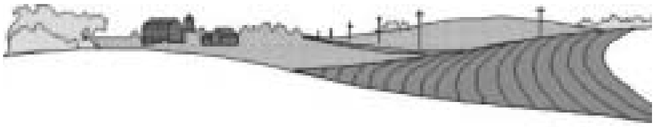

अनुलग्नक-1 पर दिए गए विहित प्रपत्र में, अग्रिम सब्सिडी के लिए संक्षिप्त परियोजना रूपरेखा व मांग-प्रपत्र प्रस्तुत करेगा ।

iii) नाबार्ड, सहभागी बैंक से परियोजना रूपरेखा व मांग प्रपत्र प्राप्त करने पर, सहभागी बैंक को मंजूरी और 50% अग्रिम सब्सिडी को सहायता आरक्षित निधि (ऋणीवार) में रखने के लिए मंजूरी प्रदान करेगा । विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा नाबार्ड को प्रदान की गई अग्रिम सब्सिडी की पुनर्पूर्ति अथवा समायोजन के लिए नाबार्ड अनुलग्नक-I में दर्शाए गए मांग पत्र की एक प्रति विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के प्रधान कार्यालय को परियोजनावार अग्रेषित करेगा । नाबार्ड द्वारा जारी की गई सहायता विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय से उपलब्ध निधियों के अध्यधीन होगी ।

iv) परियोजना पूरी होने पर प्रोत्साहक बैंक को सूचित करेगा और बैंक, नाबार्ड तथा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के अधिकारियों द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा इस संबंध में निरीक्षण करवाए जाने संबंधी कार्रवाई करेगा कि परियोजना तकनीकी और वित्तीय मानदंडों को पूरा करती है ।

v) संयुक्त निरीक्षण पूरा होने पर बैंक अनुलग्नक-II में दिए गए विहित प्रपत्र में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय/उप कार्यालय को एक-एक प्रति भेजते हुए, अंतिम सब्सिडी के लिए नाबार्ड को तीन प्रतियों में मांग प्रपत्र प्रस्तुत करेगा । अंतिम सब्सिडी के लिए मांग प्रपत्र के साथ संयुक्त समिति की निरीक्षण रिपोर्ट और समापन प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिए । नाबार्ड, बैंकों को अंतिम सब्सिडी जारी करेगा जिसकी पुनर्पूर्ति विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी की जाएगी अथवा नाबार्ड को पहले प्रदान की गई सब्सिडी राशि के साथ उसका समायोजन किया जाएगा ।

एन सी डी सी द्वारा वित्त प्रबंधित परियोजनाएं

i) एन.सी.डी.सी. कृषि विपणन आधारिक संरचना के विकास के लिए सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी ।

ii) सहकारी समितियां, प्रस्तावों को, एन0सी0डी0सी0 के विहित प्रपत्र में व्यवस्थित करके उसे आर0सी0एस0/राज्य सरकार को या सीधे एन0सी0डी0सी0 को भेजेगी ।

iii) आर0सी0एस0/राज्य सरकार उस प्रस्ताव को जांच करने के पश्चात् एन0सी0डी0सी0 के विचारार्थ अनुशंसित कर देगी ।

iv) एन0सी0डी0सी0 अपनी स्वीकृति की सूचना राज्य सरकार को देगी और सोसाइटियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्वीकृति जारी की जाएगी ।

v) निधीयन, ब्याज दर तथा स्वीकृत सहायता प्रदान करने की विधि, एन0सी0डी0सी0 द्वारा समय-समय पर परिचालित मानदंडों और नीतियों के अनुरूप होगी ।

vi) राज्य सरकारें समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट एन0सी0डी0सी0 को भेजेंगी और एन0सी0डी0सी0 उस रिपोर्ट को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को भेजेगी ।

vii) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय एन0सी0डी0सी0 के खाते में पार्किंग के लिए एडवान्स सब्सिडी जारी करेगा । सब्सिडी का परियोजनावार समायोजन/ पुनर्पूर्ति विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जाएगा ।

viii) एन0सी0डी0सी0 उपयोगिता प्रमाण पत्र विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को भेजेगी

ix) एन0सी0डी0सी0 और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय समाप्त परियोजनाओं की उपयोगिता की जांच के लिए यादृच्छिक निरीक्षण कर सकते हैं ।

12. मॉनिटरिंग

i) परियोजनाओं का नियंत्रण विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा इसके क्षेत्रीय/ उप कार्यालयों (अनुलग्नक VI पर सूची) के माध्यम से किया जाएगा और समीक्षा मासिक आधार पर नाबार्ड/एन.सी.डी.सी. द्वारा की जाएगी ।

ii) जैसा कि पैराग्राफ II (IV) में उल्लेख किया गया है, नाबार्ड, एन.सी.डी.सी., सहभागी बैंकों के अधिकारियों की संयुक्त निरीक्षण समिति जैसा भी मामला हो और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय उपरोक्त योजना के संचालन दिशा-निर्देशों के सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में परियोजना कार्य का निरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक V में प्रस्तुत करेगा जो कि अनुलग्नक-II के साथ संलग्न होनी चाहिए । इस उद्देश्य के लिए प्रोत्साहक/सहभागी बैंक/नाबार्ड परियोजना स्थल पर समिति द्वारा उस समय निरीक्षण करवाने के लिए, जब परियोजना पूरी हो गई हो, आवश्यक कार्रवाई करेगा ताकि सब्सिडी के जारी करने/समायोजन में किसी भी प्रकार के विलम्ब से बचा जा सके ।

iii) ऋणी की आरक्षित निधि में सब्सिडी की अंतिम किश्त का आकलन करने के बाद सहभागी बैंक द्वारा नाबार्ड/एन.सी.डी.सी. को जैसा भी मामला हो, इस आशय के अनुलग्नक III के अनुसार एक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि उनके द्वारा प्रदत्त की गई सब्सिडी की राशि को योजना के सभी दिशा-निर्देशों में परियोजना की स्वीकृत शर्तों के अन्तर्गत लेखा पुस्तकों में पूर्णतः प्रयुक्त/समायोजित किया गया है ।

iv) अनुलग्नक IV के प्रारूप के अनुसार योजना की प्रगति रिपोर्ट/नाबार्ड/ एन.सी.डी.सी. द्वारा मासिक आधार पर सीधे विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी ।

अनुलग्नक-I

50 प्रतिशत अग्रिम सब्सिडी/पुनर्वित्तीय प्रबंध के लिए परियोजना रुपरेखा व मांग प्रपत्र का प्रारुप

(बैंक द्वारा नाबार्ड को तीन प्रतियों में तथा डी.एम.आई. को एक प्रति में प्रस्तुत करने के लिए)

सेवा में,

(1) क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड,

(2) क्षेत्रीय/उपकार्यालय, (संलग्न पतों के अनुसार)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,

ग्रामीण भंडारों के निर्माण/नवीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना

भाग-I

(बैंक प्रयोग हेतु)

1. i) परियोजना का नाम और पता, तहसील, तालुका, जिले सहित :
 ii) क्या पूर्वोत्तर राज्यों/पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात माध्य समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर/जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित है :
2. i) प्रवर्तक का नाम और पता :
 ii) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति/उनकी सहकारी समितियों से संबंधित है, यदि हां तो ब्योरा दें
 iii) क्या कृषक/कृषि स्नातक/एस.डब्लू.सी./सी.डब्लू.सी./सहकारी समिति है :
 (क) यदि कृषक छोटा कृषक है तो :
 iv) क्या वह एकल व्यक्ति/कम्पनी/निगम/अन्य है :

* कृषक वह व्यक्ति है जिसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है

** लघु कृषक वह व्यक्ति है जिसके पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ शुष्क भूमि है ।

3. सब्सिडी के लिए पात्रता (15%, 25%, 33.33%) :

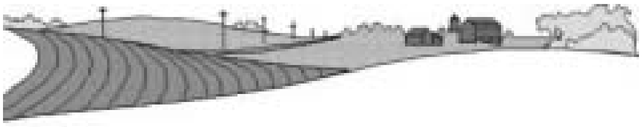

4. वित्त प्रबंध करने वाले बैंक का नाम और पता :

5. प्रस्ताव/आवेदन प्राप्ति की तारीख :

6. (क) स्वीकृत ऋण की राशि
   (ख) ऋण मंजूरी की तारीख :
   (ग) प्रथम किस्त के संवितरण की तारीख :

7. मदवार वित्तीय प्रक्षेपण	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार (रुपए)	बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार (रुपए)
i) भूमि		
ii) गोदाम		
iii) सम्बद्ध सुविधाएं		
(क) चार दीवारी		
(ख) आंतरिक सड़कें		
(ग) अन्य (उल्लेख करें)		

[illegible] :

8. वित्त प्रबंध के साधन	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार (रुपए)	बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकनके अनुसार (रुपए)
● प्रोत्साहक का अंशदान		
● बैंक ऋण		
● कोई अन्य स्रोत		

[illegible] :

9. गोदामों की क्षमता	चैम्बरों की संख्या	आकार (क्यूबिक मी. में)	क्षमता (टन में)
i) बनाई जाने वाली यूनिट			
ii) विद्यमान यूनिट यदि कोई हो			
iii) सहकारी गोदाम का नवीकरण			

10. ब्याज की दर (देय) %

11. तकनीकी साध्यता एवं वित्तीय व्यवहार्यता का संक्षिप्त विवरण

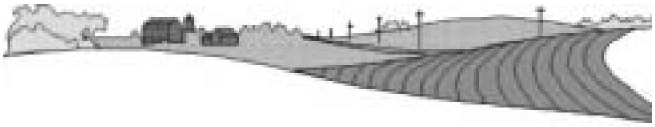

12. अन्य सुसंगत सूचना यथा- गोदाम अपने प्रयोग के लिए होगा निजी या सरकारी एजेन्सी को लीज पर दिया जाएगा/किराए पर किसानों की उपज के भंडारण के लिए होगा या वस्तुओं को भंडारित करने के लिए ।

13. परियोजना का मूल्यांकन कर लिया गया है तथा तकनीकी तौर पर साध्य एवं वित्तीय तौर पर व्यवहार्य पाया गया । हम नाबार्ड से पुनर्वित्त प्रबंधन चाहते हैं/नहीं चाहते हैं । पुनर्वित्त प्रबंधन की राशि रु0 ———— (अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो)

14. ———रु0 की राशि (————रुपए) जो कि सब्सिडी की वांछनीय राशि का 50 प्रतिशत है, परियोजना हेतु 'सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में-ऋणीवार' जमा करने के लिए जारी किया जाए ।

15. हमें यह विदित है कि प्रतिसंदाय सूची में परिवर्तन नहीं किया जा सकता । हमें यह भी विदित है कि परियोजना पूरा करने की समय सीमा परियोजना मंजूरी की तारीख से 15 माह निर्धारित की गई है । परियोजना पूरा होने में विलम्ब का कारण अगर न्यायसंगत है तो परियोजना को पूरा करने के लिए 6 महीने की अनुग्रह अवधि दी जा सकती है । यह भी विदित है कि परियोजना को निर्धारित अवधि के अंदर या योजना के व्यापक मानदंडों के अनुरुप पूरा नहीं किया जाता है तो दी गई अग्रिम सब्सिडी तुरंत वापस करनी होगी । पुनः यह भी विदित है कि सब्सिडी वापस करने में विलम्ब होने पर दंड स्वरुप ब्याज भुगतान करने की जिम्मेदारी भागीदार बैंक/लाभार्थी की होगी । यह भी पुष्टि की जाती है कि परियोजना नगर निगम क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत नहीं आती है ।

16. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं।

अनुलग्नक :

1) परियोजनारिपोर्ट
2) भूमि के कागजात
3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऋण का मंजूरी पत्र
4) तकनीकी साध्यता और वित्तीय व्यवहार्यता का संक्षिप्त विवरण
5) केटेगरी संबंधी प्रमाण
6) लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र कि उसने परियोजना के लिए किसी अन्य स्रोत से सब्सिडी नहीं ली है/नहीं लेगा ।

स्थानः

दिनांकः

(________________________)

बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
के हस्ताक्षर एवं मोहर

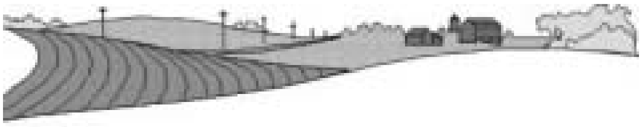

भाग-II
(क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड के प्रयोग हेतु)

(क) क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड के प्रयोग हेतु

अग्रिम सब्सिडी

रु0 ———— की अग्रिम सब्सिडी जारी करने हेतु इसकी मांग अग्रेषित की जाती है

(______________________)

दिनांकः

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड

(ख) नाबार्ड के प्रयोग हेतु

योजना कोड
राज्य कोड — परियोजना कोड
जिला कोड — बैंक कोड

रु0 ———— की राशि अग्रिम सब्सिडी के तौर पर ——— (बैंक का नाम) को जारी की जाती है । संवितरण परामर्श सं0——— (प्रतिलिपि संलग्न) देखें । इस राशि की पुनपूर्ति/समायोजन कृपया डी.एम.आई. द्वारा किया जाएगा ।

(______________________)

दिनांकः

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
प्रधान कार्यालय, नाबार्ड

(ग) प्रधान कार्यालय, डी.एम.आई. के प्रयोग हेतु

एतद्द्वारा उपर्युक्त मांग के लिए रु0 ———— की राशि अग्रिम सब्सिडी के रुप में ——— बैंक से निर्गत डी.डी. सं. ——— दिनांक ——— द्वारा नाबार्ड को प्रतिपूर्ति/समायोजित की जाती है।

(______________________)

दिनांकः

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
डी.एम.आई., प्रधान कार्यालय

अनुलग्नक-II

सब्सिडी की अंतिम किस्त की मांग के लिए प्रपत्र

(बैंक द्वारा नाबार्ड को तीन प्रतियों में तथा डी.एम.आई. को एक प्रति में प्रस्तुत करने हेतु)

सेवा में,

(1) क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड,

(2) क्षेत्रीय/उपकार्यालय (पतों की सूची के अनुसार)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,

ग्रामीण भंडारों के निर्माण/नवीकरण के लिए
पूंजी निवेश सब्सिडी योजना
भाग-I
(बैंक प्रयोग हेतु)

1. i) परियोजना का नाम और पता, तहसील, तालुका, जिले सहित :

   ii) क्या पूर्वोत्तर राज्यों/पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात माध्य समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर/जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित है :

2. i) प्रवर्तक का नाम और पता :

   ii) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति/उनकी सहकारी समितियों से संबंधित है, यदि हां तो ब्योरा दें :

   iii) क्या कृषक*/कृषि स्नातक/एस.डब्लू.सी./सी.डब्लू.सी./सहकारी समिति है :

   (क) यदि कृषक** छोटा कृषक है तो :

   iv) क्या वह एकल व्यक्ति/कम्पनी/निगम/अन्य है :

* कृषक वह व्यक्ति है जिसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है

** लघु कृषक वह व्यक्ति है जिसके पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ शुष्क भूमि है ।

3. सब्सिडी के लिए पात्रता (15%, 25%, 33.33%) :

4. वित्त प्रबंध करने वाले बैंक का नाम और पता :

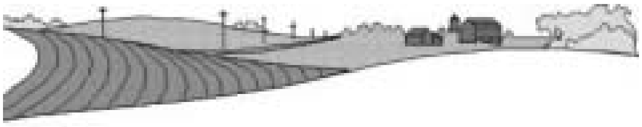

5. प्रस्ताव/आवेदन प्राप्ति की तारीख

6. क) स्वीकृत ऋण की राशि
   ख) ऋण मंजूरी की तारीख
   ग) प्रथम किस्त के संवितरण की तारीख
   घ) अंतिम किस्त के संवितरण की तारीख ऋण
   ड.) कुल संवितरित राशि

7. मदवार वित्तीय प्रक्षेपण	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार (रुपए)	बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार (रुपए)
i) भूमि		
ii) गोदाम		
iii) सम्बद्ध सुविधाएं		
(क) चार दीवार		
(ख) आंतरिक सड़कें		
(ग) अन्य (उल्लेख करें)		
कुल परिव्यय		:

8. वित्त प्रबंध के साधन	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार (रुपए)	बैंक की स्वीकृती के अनुसार (रुपए)
● प्रोत्साहक का अंशदान		
● बैंक ऋण		
● कोई अन्य स्रोत		
कुल		:

9. गोदामों की क्षमता	चैम्बरों की संख्या	आकार (क्यूबिक मी. में)	क्षमता (टन में)
i) बनाई जाने वाली यूनिट			
ii) विद्यमान यूनिट यदि कोई हो			
iii) सहकारी गोदाम का नवीकरण			

10. कुल कितनी सब्सिडी के लिए पात्र है रु0

11. जारी की गई सब्सिडी राशि रु0

12. शेष सब्सिडी जो रिलीज की जानी है रु0

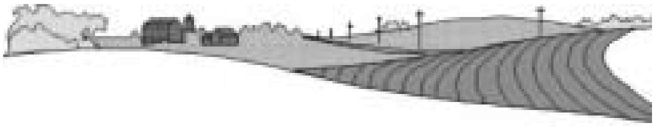

13. नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तप्रबंध किए जाने की तारीख :

14. नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तप्रबंध राशि निर्मुक्त किये जाने की तारीख :

15. निर्माण/नवीकरण परियोजना के अन्तर्गत परिकल्पित तकनीकी पैरामीटरों के अनुसार किया गया है ।

16. परियोजना स्कीम के अंतर्गत वर्णित शर्तों के अनुसार पूरी कर ली गई है और भंडार का अंतिम निरीक्षण हो गया है, ———— (रुपए ————) की राशि जो सब्सिडी की अंतिम किस्त है, "सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में-ऋणीवार जमा करने के लिए जारी किया जाए" ।

17. निम्नलिखित कागजात संलग्न है :-

क) संयुक्त निरीक्षण समिति की रिपोर्ट की प्रति
ख) बैंक से प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट, यदि कोई हो
ग) प्रोत्साहक द्वारा हस्ताक्षरित और संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा सत्यापित पूर्णता प्रमाण-पत्र
घ) केटेगरी प्रमाण-पत्र

स्थानः
दिनांकः (________________________)

बैंक के शाखा प्रबंधक के
हस्ताक्षर एवं मोहर

भाग-II
(क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड के प्रयोग हेतु)

(क) क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड के प्रयोग हेतु

रु0 ———— की राशि ————(बैंक का नाम) की उपरोक्त मांग पर सब्सिडी की अंतिम किस्त के रुप में ———— (परियोजना का नाम) हेतु जारी की जाए ।

दिनांकः (________________________)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड

(ख) प्रधान कार्यालय, नाबार्ड के प्रयोग हेतु

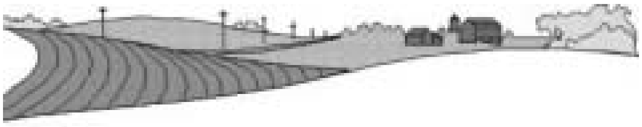

योजना कोड | परियोजना कोड
राज्य कोड | बैंक कोड
जिला कोड

रु0 —————— की राशि अंतिम सब्सिडी के तौर पर ——— (बैंक का नाम) को जारी की जाती है । संवितरण परामर्श सं0———(प्रतिलिपि संलग्न) देखें । इस राशि को कृपया डी.एम.आई. द्वारा जारी किया जाए ।

दिनांकः

(________________________)
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
प्रधान कार्यालय, नाबार्ड

(ग) प्रधान कार्यालय, डी.एम.आई. के प्रयोग हेतु

एतद्द्वारा उपर्युक्त मांग के लिए रु0 ————— की राशि अंतिम सब्सिडी के रुप में ——— बैंक से निर्गत डी.डी. सं. ——— दिनांक ——— द्वारा नाबार्ड को प्रतिपूर्ति/समायोजित की जाती है ।

दिनांकः

(________________________)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
डी.एम.आई., प्रधान कार्यालय

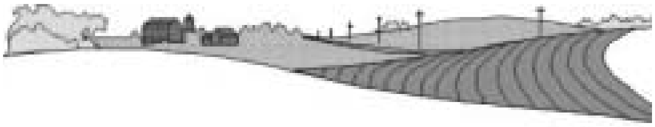

अनुलग्नक-III

उपयोग प्रमाण-पत्र के लिए प्रपत्र

(वित्त प्रबंधक बैंक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड को तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने हेतु) ग्रामीण भंडारों के निर्माण/नवीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना

1. परियोजना का नाम, पता/अवस्थिति :

2. लाभार्थी का नाम और पता :

3. वित्तीय बैंक का नाम और पता :

4. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की तारीख :

5. संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की तारीख :

6. परियोजना के समापन की तारीख :

7.
   i) कुल वित्तीय परिव्यय : रु0
   ii) सीमान्त धन : रु0
   iii) बैंक ऋण : रु0
   iv) प्राप्त सब्सिडी

iv) प्राप्त सब्सिडी	नाबार्ड से प्राप्त करने की तारीख	राशि (रु0 में)	ऋणी के सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में जमा करने की तारीख
(क) 50% अग्रिम सब्सिडी			
(ख) सब्सिडी की अंतिम किस्त			
कुल			

8.

सृजित क्षमता	आयतन (क्यूबिक मीटर)	क्षमता (टनों में)	चैम्बरों की संख्या
(क) नई ईकाई			
(ख) नवीकरण			

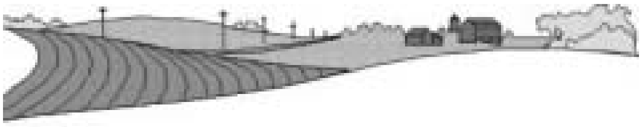

9. वित्तीय बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर :

(क) सी.बी. के मामलों में -पी.एल.आर. : % प्रतिवर्ष

(ख) अन्य मामलों में : % प्रतिवर्ष
एस.एल.बी.सी. के समन्वयक बैंकों के लिए पी.एल.आर.

10. इस बैंक ने नाबार्ड से पुनर्वित्त प्रबंध प्राप्त किया/नहीं किया ।

11. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त सब्सिडी की पूरी राशि का पूर्णरुपेण उपयोग किया गया है ("ऋणीवार सब्सिडी आरक्षित निधि खाते" में जमा करते हुए) और योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार परियोजना के लिए स्वीकृत शर्तों के अन्तर्गत इस राशि का समायोजन कर दिया गया है ।

स्थानः
दिनांकः

(________________________)
शाखा प्रबंधक
(वित्त प्रबंधक बैंक) के हस्ताक्षर एवं मोहर

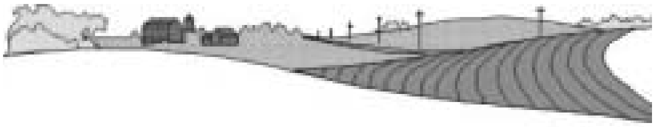

अनुलग्नक-IV

ग्रामीण गोदामों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना की प्रगति

स्वीकृत/लम्बित योजनाएं (सार)*

.... को स्थिति

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अवस्थिति	क्षमता (टन)	स्वीकृत (टी.एफओ.)	बैंक ऋण	प्रवर्तक का अंश-दान	कुल वांछनीय सब्सिडी	वित्तीय बैंकों को जारी सब्सिडी		
									अग्रिम	अंतिम	कुल

*उपर्युक्त सूचना का ब्यौरा कृषक/छोटे किसान/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों और उनकी सहकारी समितियों को स्वीकृत योजनाओं के लिए अलग से भेजा जाए ।

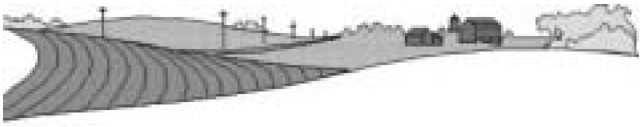

अनुलग्नक-V

ग्रामीण भंडारण योजना के तहत निर्मित गोदाम की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

निरीक्षण की तारीखः

1. संयुक्त निरीक्षण समिति के सदस्य

संगठन	नाम	पदनाम	पता
i) नाबार्ड			
ii) वित्तीय बैंक			
iii) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय			

2. i) तहसील/तालुका/जिला सहित परियोजना का नाम और पता

   ii) क्या पूर्वोत्तर राज्यों /पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात् माध्य समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है ।

3. i) प्रर्वतक का नाम और पता

   ii) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति/उनकी सहकारी समितियों से संबंधित है, यदि हां, तो ब्यौरा दें ।

   iii) क्या कृषक*/कृषि स्नातक/एस.डब्लू.सी./सी.डब्लू.सी./सहकारी समिति है, (क) यदि कृषक है तो क्या लघु कृषक** है।

iv) क्या एकल व्यक्ति/कम्पनी/निगम/अन्य है ।

*कृषक वह व्यक्ति है जिसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है ।
**लघु कृषक वह व्यक्ति है जिसके पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ शुष्क भूमि है ।

4. सब्सिडी के लिए पात्रता (15%, 25%, 33.33%) :

5. गोदाम का प्रयोग

   i) अपने प्रयोग के लिए/किराए पर कृषि उपज भंडारित करने के लिए/ निजी अथवा सरकारी एजेन्सी को पट्टे पर देने के लिए

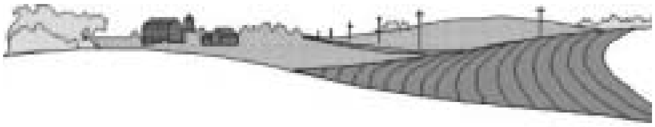

ii) वस्तुएं भंडारित करने के लिए

6. वित्तीय बैंक का नाम और पता

7. i) ऋण की स्वीकृति की तारीख
   ii) स्वीकृत ऋण की राशि
   iii) प्रथम किश्त के संवितरण की तारीख
   iv) अंतिम किश्त के संवितरण की तारीख
   v) कुल संवितरित ऋण राशि

8. i) परियोजना के समापन की तारीख
   ii) नाबार्ड और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को समापन की सूचना की तारीख

9. परियोजना की मद-वार लागत

	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार	बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार	वास्तविक
i) भूमि			
ii) गोदाम			
iii) सम्बद्ध सुविधाएं			
(क) चहारदीवारी			
(ख) आंतरिक सड़कें			
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)			
कुल :			

10. वित्त स्रोत

	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार (रुपए)	बैंक द्वारा अनुमोदित (रुपए)	वास्तविक (रुपए)
• प्रवर्तक का अंशदान			
• बैंक ऋण			
• अन्य स्रोत			
कुल :			

11. क्षमता

		कक्षों की संख्या	आकार (क्यूबिक मीटर)	क्षमता (टनों में)
i)	सृजित क्षमता			
ii)	विद्यमान यूनिट, यदि कोई हो			
iii)	सहकारी गोदामों का नवीकरण			

12. कुल कितनी सब्सिडी के पात्र है रु0

13. जारी की गई सब्सिडी की राशि रु0

14. जारी की जाने वाली शेष राशि रु0

15 (क) क्या परियोजना समय पर समाप्त हुई है ।

(ख) क्या योजना के तहत परिकल्पित तकनीकी पैरामीटरों के अनुसार निर्माण/नवीकरण कार्य किया गया ।

(ग) यदि नहीं, तो कृपया विचलन को विनिर्दिष्ट करें ।

(घ) क्या गोदाम का बीमा करवाया गया है ।

16. संयुक्त निरीक्षण समिति की सिफारिशें

(हस्ताक्षर और तारीख)

i) नाबार्ड

ii) वित्तीय बैंक

iii) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

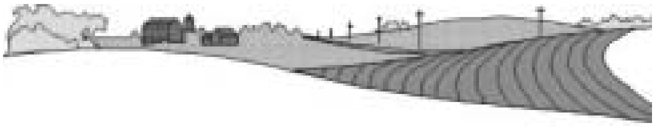

अनुलग्नक-VI

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के क्षेत्रीय/उपकार्यालयों की सूची पतों सहित

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
केन्द्रीय पूल कार्यालय भवन,
चतुर्थ तल, ए विंग, डी.एफ. ब्लॉक,
सेक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकाता-700 064
दूरभाषः 033-3340854, 3347553 (का.)

आन्ध्र-प्रदेश
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
ग्रीन हाउस, तृतीय तल, ब्लॉक 1,
सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500195
दूरभाषः 040-4657446

अरुणाचल प्रदेश
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
लाखर भवन, तृतीय तल,
कालीराम चौधरी रोड,
भरालमुख, गुवहाटी-781 009
दूरभाषः 0361-545256 (का.)

असम
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
लाखर भवन, तृतीय तल,
कालीराम चौधरी रोड,
भरालमुख, गुवहाटी-781 009
दूरभाषः 0361-545256 (का.)

बिहार
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
नगीना निकेतन ए.एन. कालिज के सामने,
बोरिंग रोड, पटना-800 013
दूरभाषः 0612-266691 (का.)

चंडीगढ़
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9 ए,
चंडीगढ़-160 047
दूरभाषः 0172-743201 (का.)

छत्तीसगढ़
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
33, आनन्द नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाषः 0771-2446030 (का.)

दादर एवं नगर हवेली
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, तृतीय तल,
न्यू मैरिन लाइन्स,
मुम्बई-400 080
दूरभाषः 022-2036801, 2032699 (का.)

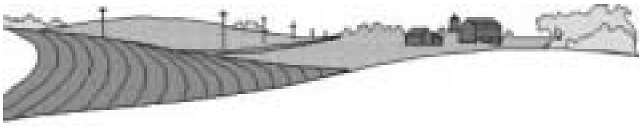

दमन एवं दीव
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, तृतीय तल,
न्यू मैरिन लाइन्स,
मुम्बई-400 080
दूरभाषः 022-2036801, 2032699 (का.)

दिल्ली
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
4/20, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली
दूरभाषः 011-23264635, 23277295 (का.)

गुजरात
वरिष्ठ विपणन विकास अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
1, इन्द्रप्रस्थ सोसायटी, प्रथम तल,
गांधी ब्रिज के पास,
शाहपुर, अहमदाबाद-380 004
दूरभाषः 079-5660965 (का.)

गोवा
वरिष्ठ विपणन अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
राजा सनसिटी, मारगोवा,
ए.पी.एम.सी., बीयर फैक्ट्री के पास,
गोवा-403 720
दूरभाषः 0832-314943, 517291 (आ.)

हरियाणा
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9 ए,
चंडीगढ़-160 047
दूरभाषः 0172-743201 (का.)

हिमाचल प्रदेश
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9 ए,
चंडीगढ़-160 047
दूरभाषः 0172-743201 (का.)

जम्मू-कश्मीर
वरिष्ठ विपणन अधिकारी,
61, ए, II एक्सटेंशन, गांधीनगर,
जम्मू-तवी-180 004
दूरभाषः 0191-450478 (का.)

झारखंड
वरिष्ठ विपणन अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
मुख्य टर्मिनल मंडी यार्ड,
परदरा, रांची-4
दूरभाषः 0651-2512597

केरल
वरिष्ठ विपणन अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
केरल राज्य को-आपरेशन बैंक बिल्डिंग,
ओवर ब्रिज जंक्शन, तम्पानूर,
तिरुवनन्तपुरम-695 001
दूरभाषः 0471-471134 (का.)

कर्नाटक
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
एम.जी. कॉम्पलैक्स, ए.पी.एम.सी.,
यशवन्तपुर, बंगलौर-560 080
दूरभाषः 080-3473004

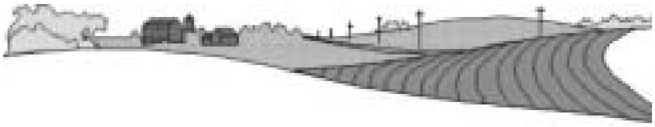

लक्षद्वीप
वरिष्ठ विपणन अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
केरल राज्य को-आपरेशन बैंक बिल्डिंग,
ओवर ब्रिज जंक्शन, तम्पानूर,
तिरुवनन्तपुरम-695 001
दूरभाषः 0471-471134 (का.)

महाराष्ट्र
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, तृतीय तल,
न्यू मैरिन लाइन्स,
मुम्बई-400 080
दूरभाषः 022-2036801, 2032699 (का.)

मध्य प्रदेश
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
87, मालवीय नगर,
भोपाल-462 003
दूरभाषः 0755-551847 (का.)

मणिपुर
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
लाखर भवन, तृतीय तल,
कालीराम चौधरी रोड,
भरालमुख, गुवाहाटी-781 009
दूरभाषः 0361-545256 (का.)

मेघालय
विपणन अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
खेर मालकी रोड, धानखेरी,
शिलांग-793 001
दूरभाषः 0364-2503017 (का.)

मिजोरम
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
लाखर भवन, तृतीय तल,
कालीराम चौधरी रोड,
भरालमुख, गुवाहाटी-781 009
दूरभाषः 0361-545256 (का.)

नागालैंड
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
लाखर भवन, तृतीय तल,
कालीराम चौधरी रोड,
भरालमुख, गुवाहाटी-781 009
दूरभाषः 0361-545256 (का.)

उड़ीसा
विपणन अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
प्लाट नं0-570, सत्यनगर,
भुवनेश्वर-751 007
दूरभाषः 0674-503829 (का.)

पांडिचेरी
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
शास्त्री भवन, चौथा तल,
छठा ब्लॉक, 26 हाडस रोड,
चेन्नई-600 006
दूरभाषः 044-8271738, 8278065 (का.)

पंजाब
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9 ए,
चंडीगढ़-160 047
दूरभाषः 0172-743201 (का.)

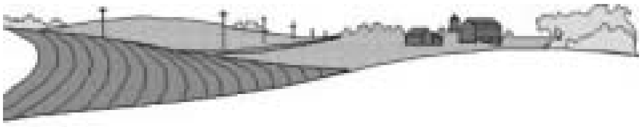

राजस्थान
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
58, मानसिंहपुरा, टोंक रोड,
जयपुर ।
दूरभाषः 0141-513300 (का.)

सिक्किम
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
सामान्य पूल कार्यालय भवन,
चौथा तल, ए विंग, डी.एफ. ब्लॉक,
सेक्टर-1, साल्ट लेक,
कोलकाता-700 064
दूरभाषः 033-3340845, 3347553 (का.)

तमिलनाडु
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
शास्त्री भवन, चौथा तल,
छठा ब्लॉक, 26 हाडस रोड,
चेन्नई-600 006
दूरभाषः 044-8271738, 8278065 (का.)

त्रिपुरा
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
लाखर भवन, तृतीय तल,
कालीराम चौधरी रोड,
भरालमुख, गुवाहाटी-781 009
दूरभाषः 0361-545256 (का.)

उत्तर-प्रदेश
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
29-ए/1, जपलिंग रोड,
लखनऊ-226 001
दूरभाषः 0522-207357 (का.)

उत्तरांचल
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
कम्प्यूटर रुम, ए.पी.एम.सी. निरंजनपुर,
देहरादून ।
दूरभाषः 0135-2520253 (का.)

पश्चिम बंगाल
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
सामान्य पूल कार्यालय भवन,
चौथा तल, ए विंग, डी.एफ. ब्लॉक,
सेक्टर-1, साल्ट लेक,
कोलकाता-700 064
दूरभाषः 033-3340845, 3347553 (का.)